संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएं
मध्यप्रदेश

क्र/4/कार्या.स्था/सेल–1/2018/ 48 भोपाल, दिनांक 06/01/2018

//आदेश//

माननीय मुख्य मंत्री की लंबित घोषणाओं को समय सीमा में निराकरण करने हेतु प्रमुख सचिव (स्वास्थ्य) द्वारा दिये गये निर्देशानुसार समीक्षा करने पर विकास शाखा में पदस्थ श्री एस.आर.बाथम, सहायक ग्रेड–1 तथा श्री जीवन सिंह लोधी, सहायक ग्रेड–2 द्वारा बार–बार यही बताया गया कि जिलों से जानकारी उपलब्ध नहीं हो पा रही है । जबकि जिलों के सी.एम.ओ. द्वारा दूरभाष पर चर्चा के दौरान अवगत कराया गया कि उनके द्वारा सी.एम.की घोषणा से संबंधित जानकारी पूर्व में ही प्रेषित की जा चुकी । संचालक द्वारा दिनांक 16.11.2017 को किये गये निरीक्षण के दौरान विकास शाखा के कम्प्यूटर पर ई–मेल चेक करने पर कई जिलों द्वारा जानकारी प्रेषित करने की पुष्टि हुई है ।

इसके अतिरिक्त निरीक्षण के दौरान नस्तियों के संधारण एवं प्रस्तुतीकरण में भी लापरवाही पाई गई है । उक्त दोनों कर्मचारियों द्वारा अपने कर्त्तव्य के प्रति लापरवाही बरतने तथा वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशों की अवहेलना करने के कारण शासकीय कार्य प्रभावित हुआ है। उनका यह कृत्य कदाचरण की श्रेणी में आता है एवं शासकीय सेवक के लिये निर्धारित आचरण के विपरीत होकर म.प्र. सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम–3 के उप नियम एक के खण्ड (i) (ii) (iii) का स्पष्ट उल्लंघन है ।

उक्त कदाचरण के लिए म.प्र.सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के नियम 9 के अंर्तगत श्री एस.आर.बाथम, सहायक ग्रेड–1 तथा श्री जीवन सिंह लोधी, सहायक ग्रेड–2 को कार्यालयीन आदेश क्रमांक/4/कार्या. स्था./सेल–1/2017/2335–36, दिनांक 16.11.2017 द्वारा तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया था।

तद्उपरांत श्री एस.आर.बाथम, सहायक ग्रेड–1 तथा श्री जीवन सिंह लोधी, सहायक ग्रेड–2 दोनों कर्मचारियों द्वारा निलंबन से बहाली के संबंध आवेदन पत्र दिनांक 19.12.2017 को प्रस्तुत कर उक्त कदाचरण के लिये उन्हें माफ करते हुये भविष्य में ऐसी गलती नहीं की जावेगी उल्लेखित किया गया है।

उपरोक्तानुसार श्री एस.आर.बाथम, सहायक ग्रेड–1 तथा श्री जीवन सिंह लोधी, सहायक ग्रेड–2 (दोनों कर्मचारियों) के निलंबन से बहाली हेतु प्राप्त अभ्यावेदन पर विचारोपरांत यह निर्णय लिया गया है कि संबंधित दोनों कर्मचारियों द्वारा ऐसी लापरवाही की पुनरावृत्ति भविष्य में नहीं की जावेगी, चेतावनी देते हुये उन्हें निलंबन से बहाल किया जाता है। निलंबन अवधि को कर्तव्य अवधि मान्य करते हये, उक्त अवधि का वेतन भुगतान नियमानुसार प्रदाय किया जावे।
आयुक्त स्वास्थ्य द्वारा अनुमोदित ।

अपर संचालक (प्रशासन)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें,
मध्यप्रदेश

क्र/4/कार्या.स्था/सेल–1/2018/ भोपाल, दिनांक / /2018

प्रतिलिपि:– सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

1. प्रमुख सचिव, म.प्र.शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल ।
2. स्वास्थ्य आयुक्त स्वास्थ्य सेवायें मध्यप्रदेश।
3. संचालक, विकास शाखा, स्थानीय कार्यालय ।
4. संचालक (प्रशासन) स्थानीय कार्यालय।
5. अपर संचालक (वित्त) स्थानीय कार्यालय।
6. क्षेत्रिय संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, भोपाल संभाग, भोपाल ।
7. कोषालय अधिकारी, वल्लभ भवन, भोपाल ।
8. उप संचालक, विकास शाखा, स्थानीय कार्यालय।
9. आहरण एवं संवितरण अधिकारी, स्थानीय कार्यालय की ओर लेख है कि श्री बाथम, सहायक ग्रेड–1 एवं श्री जीवन सिंह लोधी, सहायक ग्रेड–2 को निलंबन अवधि का वेतन भुगतान प्रदाय करने हेतु नियमानुसार कार्यवाही करें।
10. श्री एस.आर.बाथम, सहायक ग्रेड–1 तथा श्री जीवन सिंह लोधी, सहायक ग्रेड–2 स्थानीय कार्यालय ओर पालनार्थ।
11. सेल–3, कृपया उक्त आदेश की पृविष्टी इनकी सेवा पुस्तिका में करें।
12. आदेश नस्ति ।

अपर संचालक (प्रशासन)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें,

Order Scn-2018 .doc2